<u>**अति-तत्काल**</u>

एच-11018/02/2014/जल-1(भाग)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनाँक: 24 सितंबर, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/प्रभारी,
ग्रामीण जलपूर्ति विभाग,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

महोदय,

यह पाया गया है कि पर्याप्त पुनर्भंडारण के बिना भूजल के अत्यधिक दोहन से जिससे वे सूख रहे हैं अथवा पानी कम हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि, नए बसावटों के स्थापित होने, उर्वरकों, सीवेज अथवा औद्योगिक उत्स्राव के भूजल में रिसाव से पेय जल स्रोतों के संदूषण आदि जैसी विभिन्न कारणों से पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटें आंशिक रूप से कवर की पूर्व स्थिति में वापस लौट रही हैं।

I. 11वीं योजना में जन उपलब्धता के स्थायित्व और गुणवत्ता आदि पर बल दिया गया था। कृपया वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान और 11वीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में उपलब्धियाँ दर्शाएँ।

II. क्या ऐसे अवसर सामने आए हैं जहाँ स्थायित्व के उपायों के बाद भी पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई पूर्व स्थिति में वापस लौट रही हैं? यदि हाँ तो कृपया ऐसी बसावटों की संख्या का विवरण दें।

III. क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है जिससे बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की पूर्व स्थिति में वापस न लौटें? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।

2. यह भी पाया गया है कि नीचे दिए गए चार राज्यों में वर्ष 2013-14 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बसावटों के कवरेज के संबंध में उपलब्धियों में कमी आई है:-

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	कवरेज	उपलब्धियों का %
1	केरल	839	356	42
2	मेघालय	755	549	73
3	पंजाब	1545	1227	79
4	सिक्किम	200	87	43

कृपया वर्ष 2013-14 के दौरान उपलब्धियों में भारी कमी का कारण बताएँ और दर्शाएँ कि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बसावटों के कवरेज को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रस्ताव है।

3. आप इस बात का क्या स्पष्टीकरण देंगे कि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियाँ लक्ष्य से खासकर वर्ष 2012-13 और 2013-14 में गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज के लक्ष्य इतनी कम क्यों हैं वो भी इस कार्य हेतु आबंटित निधियों को पूर्ण रूप से उपयोग करने के बाद भी।

4. अन्य घरेलू और बाह्य श्रोतों से पेयजल परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रस्ताव है।

i. कृपया इन स्रोतों, और इन स्रोतों से वित्तपोषित और वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित कार्यों के नियम और शर्तों का विवरण प्रस्तुत करें।

ii. कृपया पहले से वित्तपोषित, विभिन्न परियोजनाओं/यदि कोई हो, की स्थिति और सरकार द्वारा इन्हें समय पर पूरा करने के कदमों का विवरण दें।

यह अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रश्नों से संबंधित स्पष्टीकरण दिनांक 25.09.2014 तक इस मंत्रालय को निश्चित रूप से भेजें।

भवदीय,

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)